



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082024-256623
CG-DL-E-24082024-256623

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3261]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2024/श्रावण 31, 1946

No. 3261]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2024/SHRAVANA 31, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2024

का.आ. 3577(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में NH48 के कि.मी. 109.950 से कि.मी.131.170 (सी-ब्लॉक, नर्मदा भवन, जेल रोड, वडोदरा) तक के भू-खण्ड के अतिरिक्त संरचना / पुलों का निर्माण (चौड़ीकरण / छह लेन बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिप्टी कलेक्टर वडोदरा (शहर) को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के वडोदरा जिले के वडोदरा शहर (उत्तर और दक्षिण) तालुका के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 का कि.मी. 109.950 से कि.मी. 131.170 तक के लिए संरचना रहित अथवा संरचना सहित अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: वडोदरा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: वडोदरा सिटी (नॉर्थ)					
गांव का नाम: वेमाली					
1	216/A	निजी	कृषि	0.0006 (हेक्टेयर)	0.0006
2	217/A	सरकारी	गौचर	0.097 (हेक्टेयर)	0.097
3	River	सरकारी	नदी	0.0415 (हेक्टेयर)	0.0415
4	Road	सरकारी	सड़क	0.2033 (हेक्टेयर)	0.2033
तालुक का नाम: वडोदरा सिटी (साउथ)					
गांव का नाम: जाम्बुआ					
5	651	सरकारी	गौचर	0.0065 (हेक्टेयर)	0.0065
6	699	सरकारी	गौचर	0.0673 (हेक्टेयर)	0.0673
7	700	सरकारी	गौचर	0.0275 (हेक्टेयर)	0.0275
8	701	निजी	कृषि	0.0421 (हेक्टेयर)	0.0421
9	703	निजी	कृषि	0.0293 (हेक्टेयर)	0.0293
10	River	सरकारी	नदी	0.0497 (हेक्टेयर)	0.0497
11	Road	सरकारी	सड़क	0.0001 (हेक्टेयर)	0.0001
कुल योग					0.5649

[फा. सं. NHAI/PIU-Surat/15-Bridges/LA/2024/3A]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2024

S.O. 3577(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for construction of additional structure / bridges (widening / six lanning etc), maintenance, management and operation of NH48 in the stretch of land from Km. 109.950 to Km. 131.170 (C-Block, Narmada Bhavan, Jail Road, Vadodara) in the district of Vadodara in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Collector Vadodara City in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH48 in the stretch of land from Km. 109.950 to Km. 131.170 in the Taluka of Vadodara City (North & South), District of Vadodara in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT			District: Vadodra		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Vadodara city (North)					
Village: Vemali					
1	216/A	Private	Agriculture	0.0006 (Hectare)	0.0006
2	217/A	Government	Gauchar	0.097 (Hectare)	0.097
3	River	Government	River	0.0415 (Hectare)	0.0415
4	Road	Government	Road	0.2033 (Hectare)	0.2033
Taluk: Vadodara city (South)					
Village: Jambava					
5	651	Government	Gauchar	0.0065 (Hectare)	0.0065
6	699	Government	Gauchar	0.0673 (Hectare)	0.0673
7	700	Government	Gauchar	0.0275 (Hectare)	0.0275
8	701	Private	Agriculture	0.0421 (Hectare)	0.0421
9	703	Private	Agriculture	0.0293 (Hectare)	0.0293
10	River	Government	River	0.0497 (Hectare)	0.0497
11	Road	Government	Road	0.0001 (Hectare)	0.0001
Total					0.5649

[F. No. NHAI/PIU-Surat/15-Bridges/LA/2024/3A]

ABHAY JAIN, Director